E-Mail- caodlb@gmail.com   Fax No.- 0141-2223074

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक : प.6(ख)लेखा/आडिट समिति/एजी/डीएलबी/2020/15976 दिनांक : 29/07/2022

:: कार्यवाही विवरण ::

निर्धारित कार्य क्रमानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.5(20)प्र.स./अनु.3/86 दिनांक 10.05.2010 द्वारा गठित विभागीय आडिट समिति की बैठक (A.G.) दिनांक 22.07.2022 को मध्यान्ह पूर्व 11:00 बजे शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की अध्यक्षता में निदेशालय के मीटिंग हॉल में सम्पन्न हुयी जिसमें जयपुर स्थित कार्यालयों के स्थानीय अधिकारी उपस्थित हुये एवं बाहर के अधिकारियों ने जरिये विडियों कान्फ्रेसिंग भाग लिया। उक्तानुसार निर्धारित समय पर बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

01. श्री डॉ. जोगाराम, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
02. श्री महेन्द्र तांबी, उप महालेखाकार, महालेखाकार लेखापरीक्षा-II, राजस्थान जयपुर। (जरिये वीसी)
03. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. श्री कृष्ण कन्हैया, मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम हैरिटेज, राजस्थान जयपुर।
05. श्रीमति रेणु खण्डेलवाल, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
06. श्रीमति भारती हरजवानी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
07. श्री हनुमान सहाय मीणा, लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
08. श्रीमति सुमन लता मीणा, लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
09. श्री मांगी लाल प्रजापत, सहायक लेखापरीक्षाधिकारी, महालेखाकार लेखापरीक्षा-II, राजस्थान जयपुर।
10. श्री. गणेश नारायण गुर्जर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम हैरीटेज, राजस्थान जयपुर।
11. श्री राजेन्द्र चौहान, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर।
12. विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय उपनिदेशक, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर इत्यादि ने भाग लिया।
13. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, निदेशालय जयपुर।

मिटिंग के दौरान प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया एजेंण्डा दिनांक 14.07.2022 पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1 बिन्दु संख्या 1 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के भीतर नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी एवं कुंजी दस्तावेज सहित भिजवानी होती है, किन्तु निकायों द्वारा इसे समय पर नही भिजवाया गया है। महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना के क्रम में शीध्र प्रथम अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निकायो को निर्देश दिये गये।

2. बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार अंकेक्षण के उपरान्त जारी ज्ञापनों का जवाब नही देने, जॉच दल को रिकोर्ड उपलब्ध नही करवाने, जॉच दल को सहयोग नही देने तथा गत वर्षो की बकाया प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना प्रस्तुत नही करने को अध्यक्ष एवं निदेशक महोदय ने गंभीरता से लिया तथा अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होने निर्देशित किया की महालेखाकार कार्यालय के जॉच दल को अविलम्ब रिकोर्ड उपलब्ध करवाया जाये व उनके मीमो का जवाब तुरन्त दिया जाये। साथ ही पुराने बकाया अनुच्छेदों की सारगर्भित अनुपालना तैयार कर प्रस्तुत की जावें।

3 निकायो के सनदी लेखाकार (C.A) द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे (आय-व्यय खाता,तुलना पत्र एवं चट्‌ठा) इस कार्यालय को भिजवाने के बारे में निर्देशित किया जाना के संबंध में अवगत कराया गया कि राज्य की समस्त नगरीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त वार्षिक लेखों को सीए से अंकेक्षण कराये जाने पश्चात वार्षिक अंकेक्षित लेखों की एक प्रति निदेशालय में प्रेषित करती है तथा साथ ही निकायो द्वारा उक्त वार्षिक अंकेक्षित लेखों की सॉफ्ट प्रति निकाय की विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड की जाती है। इसके साथ ही वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा 15 वें वित्त आयोग के बाध्य अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार

द्वारा तैयार City finance portal पर भी नगरीय निकायों द्वारा सबंधित निकाय के Unaudited एवं Audited financial statements अपलोड किये जा रहे है उसी के उपरान्त नगरीय निकायों को बाध्य अनुदान राशि की प्राप्ति हो रही है।

4 राज्य की सभी नगरीय निकायों में Accrual System से लेखांकन कार्य हेतु RMAM के आधार पर राज्य में वर्ष 2010 से राजस्थान म्यूनिसिपल अकाउन्टस मैन्यूअल (RMAM) तैयार किये गये है। नगरीय निकायों में दौहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन कार्य हेतु लेखांकन के क्षैत्र में दक्ष (skill) कार्मिकों के अभाव में विभागीय निविदा के माध्यम से सम्भागवार सीए फर्मो को सूचिबद्ध करते हुये सूचीबद्व सीए फर्मो के outsourcing के माध्यम से नियमित तौर पर करवाया जा रहा है। वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य की समस्त नगरीय निकायों में उपार्जन आधारित दोहरा लेखा प्रणाली (Accrual Based Double Entry Accounting system) से कार्य को और भी अधिक सुनिश्चितता के साथ किये जाने हेतु वर्तमान में एक Accounting Software बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त Software सूचना एवं जनसम्पर्क एवं प्रौधोगिक विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से तैयार करवाया जाना है। उपरोक्त Software बनाये जाने उपरान्त समस्त नगरीय निकायों के वार्षिक लेखें Accrual Based Double Entry Accounting system से Online web portal पर तैयार किये जा सकेगे एवं लेखांकन कार्य में भी पारदर्शिता आयेगी। इस प्रक्रिया को बिना विलम्ब के प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर सम्पन्न किया जा रहा है, पुनः इस बाबत् संबंधित निकायों को उक्त कार्य हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया।

5 जयपुर नगर निगम की वर्ष 1998–2001 से 2021–22 तक कुल 17 निरीक्षण प्रविवेदनों में शामिल 725 आक्षेपों की अनुपालना शेष है। जिसके संबंध में नगर निगम जयपुर के मुख्य लेखाधिकारी ने शीध्र ही अनुपालना प्रेषित किये जाने की प्रतिबद्वता दोहराई जिसके लिये उन्हे निर्देशित किया गया कि शीध्र ही महालेखाकार को पत्र लिख कर बकाया पैराज के निस्तारण हेतु निर्धारित तिथि पर शीघ्र कैम्प लगाकर अधिक से अधिक अनुच्छेदों को ठोस अनुपालना प्रस्तुत करते हुए बकाया पैराज को निरस्त करवाने का निर्देश दिया गया।

6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) के अध्याय–III में शामिल वांछित सूचनायें निदेशालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के संबंध में पूर्ण ध्यान रखते हुए वर्ष 2020–21 के सीएजी प्रतिवेदन हेतु सूचना विभागीय पत्रांक 20152 दिनांक 23.12.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। इसी तरह भविष्य में भी नियमित रूप से समय पर महालेखाकार को सूचनाऐं उपलबध करवाने का निर्णय लिया गया।

7 बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु राज्यस्तरीय नोडल एजेन्सी/नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है अथवा नहीं के संबंध में विभाग में पहले से ही कार्यरत मुख्य लेखाधिकारी का पद वित्तीय सलाहकार के पद पर प्रोनन्त होने पर विभाग के वित्तीय सलाहकार को ही राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने की पालना कर दी गयी है।

8 माह जून 2022 तक जारी कुल 944 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें गठित कुल आक्षेप 7986 (भाग II एवं भाग II ख) बकाया है जिनमें से 10 नगर निगमों के कुल 2106 आक्षेप भी बकाया के संबंध में निकायों को शीध्र ही कैम्प आयोजित कर ठोस अनुपालनाऐं प्रस्तुत करते हुए बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण बाबत् निर्देश दिये जाकर अनुपालनाऐं समय पर प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9 चोरी, हानि, गबन संबंधी प्रकरण। (गबन 6/चोरी 02) के संबंध में जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनकी प्रगति से अवगत कराने, जिनकी वसूली बकाया है यथासम्भव वसूली करने एवं प्रकरणों के अनुसार अनुपालना कर प्रकरणों को शीध्र निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

10 तथ्यात्मक विवरणों के प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं करने से संबंधित प्रकरण (03 प्रकरण) के संबंध में संबंधित को शीध्र ही पालना प्रेषित करने हेतु कहा गया ताकि उक्त तथ्यात्मक विवरण आगे जाकर सीएजी रिपोर्ट में शामिल नहीं हो। इस सम्बंध में निर्धारित समय में सम्बंधित निकायों द्वारा शीघ्र ही प्रत्युत्तर तैयार कर अनुपालना भिजवाने के निर्देश दिये गये।

11 ओ.बी आइटमों/प्रकरणों की सूचना 1 प्रकरण के संबंध में शीध्र ही महालेखाकार को अनुपालना से अवगत कराने बाबत् निर्णय लिया गया।

12 बिन्दु सख्या 13 के अनुसार अध्यक्ष महोदय जी ने निर्देशित किया कि विभाग द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/दिशा–निर्देशों/संशोधनों की एक एक प्रति महालेखाकार, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (लेखापरीक्षा) जयपुर को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जावें।

चर्चा के दौरान शासन सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्थानीय निकाय विभाग ने बकाया पैराज के संबंध में गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा बकाया पैराज की अनुपालना हेतु माह अगस्त 2022 तक निदेशालय अथवा उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्तर पर कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देश दिये गये तथा आयोजित होने वाले कैम्पों में पूर्ण तैयारी के साथ एवं लेखापरीक्षा के दौरान प्रमुख आक्षेप जो कि पूर्व में भी पाये जाते रहे है की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना के साथ उपस्थित होने हेतु समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक का अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद समापन किया गया।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ख)लेखा/आडिट समिति/एजी/डीएलबी/2020/15977-16013 दिनांक 29/07/2022

01. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सहायक, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर/ कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण ।
05. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग), शासन सचिवालय, जयपुर।
06. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
07. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर।
08. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर/कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण।
09. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
10. लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान को तुरन्त पालनार्थ।
12. कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन को सूचनार्थ।
13. प्रभारी आईटी सेल को विभागीय बैवसाईड पर अपलोड करवाने हेतु।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार